	29/3/2022	पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी वकील अनुपस्थित। प्रतिवादी वकील को (15) अवसर जवाब हेतु देने के उपरान्त जवाब पेश नहीं करने पर न्यायहित में इनका जवाब बंद किया जाता है। वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:45:08 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर 11/2020

उगरा v/s सोना व०द०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	वादी वकील द्वारा बहस मे बताया कि वादी की सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने तथा वादी वकील के ताऊ के लड़के की मृत्यु होने से अनुपस्थित रहे है। जान बूझ कर वादी एंव वादी वकील अनुपस्थित नही रहे, अपितु घरेलु आवश्यक कार्यवंश वादी एंव उनके वकील अनुपस्थित रहे है। तथा वाद खारीज होने के बाद कोरोना वायरस के चलते अदालत में नियमित सुनवाई नही हुई, जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र 30 दिन के भीतर लॉक डाउन होने व नियमित सुनवाई नही होने से सही समय पर पेश नही कर सका। अतः प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद समझा जावे व दावा बाबत खातेदारी हक व स्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्टोर करने का आदेश फरमावें।	
	हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया व बहस तथ्यों पर मनन किया। वादी का वाद दिनांक 24.2.2020 को वादी व वादी वकील के अनुपस्थित रहने से अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारीज किया गया था। वादी द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत बहस मे बताया कि वादी [illegible] व वकील के ताऊ के लड़के [illegible] कोरोना महामारी [illegible] में उपस्थित नही हो सका [illegible] कारण [illegible] रेस्टोरेशन हेतु प्रार्थना पत्र [illegible] सका। ऐसी स्थिति मे वादीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने मे हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।	

सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज
	वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 के तहत राजस्व वाद 16/2019 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2020 को अपास्त किया जाता है तथा उक्त वाद को रेस्टोर कर पूर्व पूर्व दायरा रजिस्टर के इसी नम्बर पर दर्ज किया जाकर दोनों पक्षों को सुनवाई हेतु सूचित कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही दिनांक 24.02.2020 के पूर्व की स्थिति पर आरम्भ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।
	सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:45:08 IST
Reason: SelfAttested